औ
हमारे पास बहुत बड़ी कार्यसूची है
चाहता। सरकार ने दोनों मदें एक साथ दी है

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) **:** सभापति जी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। यह अच्छी बात इन्होंने कही है
कीजिए।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह) : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने आरंभिक वक्तव्य में इस विधेयक की काफी बातों को कवर किया है
में वह वाद-विवाद के दौ
करेंगे।

मेरा प्रयोजन अति सीमित है
चाहता हूं कि यह विधेयक एक प्रकार से हमने ऊपर वर्ष 1974 में विश्व द्वारा लगाए परमाणु संबंधी उन भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों की समाप्ति का सफर है
को बढ़ावा देने औ
किया जा रहा है
जहां तक मेरा संबंध है
ऐसा करने का आरोप लगाया गया है
जी को भी याद होगा कि जब वर्ष 1992 में मै
का बजट प्रस्तुत किया था, तो कुछ अपवादों के साथ पूरे विपक्ष ने उठकर यह कहा था कि मुझ पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए औ

सभापति महोदया, इतिहास इसका फै
1991 में क्या किया औ
दिया। श्री जसवंत सिंह जी ने इसे पुनरुज्जीवित औ
कहा है
इसी प्रेरणा से हमारी सरकार ने परमाणु संबंधी भेदभाव के समाप्त करने के अपने सफर को पूरा करने का प्रयास किया है
कहना कि एक प्रकार से हमने भारत के राष्ट्रीय हितों से समझौ
किया है

इसके विस्तार में जाए बिना, मै
कि जहां हम इस विधेयक को दृढ़ संकल्प के साथ लेकर चले है क्रया वर्ष 1999 में आरंभ की गई थी। जब मै
परमाणु ऊर्जा आयोग की पुरानी फाइलें देखीं तो मै
हमारे वै
वे सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत को ऐसे कानून की आवश्यकता है
सच है
चर्चा के दौ
जिसमें हमने कहा कि हम ऐसा विधेयक लाएंगे औ
बनाएंगे। यह किसी भी प्रकार से भारत के हितों के विरुद्ध नहीं है
जो कि निश्चित रूप से राष्ट्र विरोधी मंशा का कार्य नहीं था, जै

सभापति महोदय, ये कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां है
चाहता था। जिन तकनीकी मुद्दों को उठाया गया है
मेरे सहयोगी देंगे। परंतु मै
परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का उपयोग एक गंभीर मुद्दा है
इसका दुरुपयोग हो सकता है
ऊर्जा के उपयोग के संबंध में सभी कार्य काफी ध्यानपूर्वक करने चाहिएं। उनकी परमाणु सुरक्षा के संबंध में चिंता से मै
सहमत हूं औ
स्वतंत्र परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है
स्वतंत्र निकाय है
है
हमारे वै
सुविधाओं की देखरेख करते है

सभापति महोदय, मै
केवल अपनी उपलब्धियों पर निश्चित नहीं हुआ जा सकता। हम परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड के सुदृढ़ीकरण हेतु सबकुछ करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु परमाणु ऊर्जा मुख्य स्त्रोत के रूप में पूर्णतया सुरक्षित रहें।

सभापति महोदय, यह प्रश्न उठाया गया कि क्या परमाणु विद्युत आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प है
ऊर्जा से प्रतिष्ठानों के किए गए सभी अध्ययनों में मै
कि एक सीमा के बाद कोयला खानों के पश्चात् परमाणु ऊर्जा अब सबसे पसंदीदा विकल्प है
प्रौ

[डॉ. मनमोहन सिंह]

मै
है
एक व्यवहार्य विकल्प है
परमाणु विद्युत का इस्तेमाल करना चाहिए। विकास केवल प्रौ
ढांचे को निर्धारित ही करना नहीं है
विकास के विकल्पों को विस्तृत करने का कार्य है
देश के लिए खुले है
औ
अपने भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की औ
अधिक विकल्प होंगे।

नि:संदेह यह सत्य है
में विकल्प है
का सवाल है
विद्युत एक ऐसा विकल्प है
चाहिए। मुझे लगता है
परमाणु वाणिज्य के क्षेत्र में अन्य इच्छुक देशों के साथ व्यापार करने में सहायता मिलेगी जिससे विकास में विकल्प को बढ़ाया जा सकेगा। ताकि ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मै
करता हूं कि इस विधेयक को एकजुटता के साथ पारित किया जाए।

श्रीमती हरसिमरत कौ (भटिंडा) : महोदय, 123 समझौ
पर हस्ताक्षर करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की शर्तों को मानना होगा, जिसके क्रम में नए अधिनियम को अधिनियम करना होगा जहां भारत का परमाणु वेंडर्स रिएक्टर बेचने वालों को किसी दायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

सायं 6.10 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

ऐसा लगता है
हम आज पारित करने का प्रयास कर रहे है
का आभास कराता है

यह पूरी तरह से परमाणु संयंत्रों के आपूर्तिकर्ता की क्षतिपूर्ति करता है चालक
को सौ
प्रचालक के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों, विशेषरुप से तब जब वे उपकरण की आपूर्ति के बाद प्रकाश में आते है
कोई दायित्व नहीं है
अर्थ यह है
राजी करने के बाद आपूर्तिकर्ता इसके बाद होने वाली किसी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

मै बढ़ेगा जिसके
तहत आपूर्तिकर्ता अपनी लागत औ
सुरक्षा के साथ समझौ
करने से परमाणु दुर्घटना हो सकती है
अनुसार कोई दुर्घटना होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता किसी प्रकार के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।

विधेयक के खण्ड 17, जो आपूर्तिकर्ता के विसाद कार्रवाई से संबंधित है
आपूर्तिकर्ताओं की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है
के इरादे का प्रमाण मिलने के बाद किया जाएगा, यह पूरी तरह बेतुकी बात है
वाला व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी निशान मिट जाए औ
पहले ही पहुंचाई जा चुकी है
है
ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया है
की आवश्यकता है

तीसरी बात, विधेयक के खण्ड 2 में यह उल्लेख है
परमाणुवीय नुकसान को सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। खण्ड 6 में यह उल्लेख है
बाद इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ा सकती है
प्रमात्रा भी सरकार द्वारा तय की जाएगी। यदि यह धनराशि 1500 करोड़ रुपए से अधिक है
का भुगतान करना होगा औ
सरकार के स्वामित्व में है
से टकराव है
करने का निर्णय लेती है
है
अत: मेरे विचार में इस खण्ड को भी बदलने की आवश्यकता है लेने का

दायित्व दिया जाना चाहिए। जिस मुख्य मुद्दे पर मै
हूं, वह यह है
इस राष्ट्र के लोगों की जान माल का संबंध है
रुपए के तो कीजिए कोई भी आर्थिक दायित्व इसके बराबर नहीं हो सकता। यदि आप जापान जै
इसी दायित्व यह 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर है
रुपए को एक मजाक के रूप में लेते है
आज एक बड़ी रकम हो सकती है
करोड़ रुपए की उतनी कीमत नहीं होगी तथा जनसंख्या आज की तुलना में कहीं अधिक होगी। तत्पश्चात् एक निकाय होगा जो निर्णय लेगा कि यह धनराशि नियमित रूप से कै

मै
की संदिया नेशनल लेबोरेटरी ने न्यूयार्क के निकट इंडिया प्वाइंट न्यूक्लियर पॉवर प्लांट नामक परमाणु संयंत्र पर एक अध्ययन किया था। उसने एक अध्ययन किया कि बदतर स्थिति में सबसे बड़ी क्षति कितनी होगी? 1982 में उसने पाया कि सबसे बदतर स्थिति में लगभग 274 बिलियन से 314 बिलियन अमरीकी डॉलर की संपत्ति की क्षति होगी। यह आज सरकार के कुल बजट से ज्यदा है
की स्थिति में क्या सरकार इतने भारी पै
करने की स्थिति में है

जब हम तै
इस मुआवज को देने के लिए संसाधन है
पहले मै
चाहती हूं। महोदय, बाढ़ चक्रवात, टाईकून औ
रहते है
मूलभूत चेतावनी उपकरण भी नहीं है

उपशमन, राहत औ
बाद होता है
के लिए मूलभूत उपकरण भी नहीं है
हो या लेह में बादल फटने की घटना या सुनामी या बाढ़ या सूखा। मै
नगर पालिकाओं के पास अग्निशमन वाहन भी नहीं हैं
आपदाओं की तो बात ही छोड़िए। मानवजनित आग लगने की स्थिति में यदि हम फोन करें तो अग्निशमन की ओर से हमारे फोन का उत्तर तक नहीं दिया जाता। आज हमारे पास इन प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए तै

दिल्ली में हर बच्चा यह जानता है
में डेंगू फै
मै
लोग डेंगू से मर रहे है
के बावजूद, सरकार काम नहीं कर पा रही है
के लिए इसके पास आवश्यक कार्य-व्यवस्था मौ
प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हमारे देश तथा हमारी सरकार की ऐसी ही तै
हम प्राकृतिक आपदाओं औ
नहीं है
व्यापक पै
भी शुरू नहीं किया है

आज हम परमाणु विद्युत की औ
कर रहे है
आंकड़ों पर नजर डालें, तो कुल अधिष्ठापित क्षमता 1,62,366 मेगावाट है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौ मै
मुख्य बात पर आ रही हूं।

आज बहुत से अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है
प्रकार के खतरे नहीं है
मौ

पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में क्या स्थिति है
परमाणु कचरा इतना खतरनाक हो गया है
ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या बन गयी है
इस समय पर्यावरणविद कहां है
हो सकता है
कचरे से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कोई समुचित तरीका नहीं है
डाल रहे है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अभी बोलने के लिए बहुत से सदस्य बचे है

...(व्यवधान)